

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 6199/2020**

राम पाल.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

लखनऊ मंडल, लखनऊ के आयुक्त एवं अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :राजेश कुमार अग्निहोत्री

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 4**(माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली द्वारा सुनाया गया।)**

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार अग्निहोत्री तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव की दलीलें सुनी गईं।

2. इस रिट याचिका के ज़रिए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के तहत अपील संख्या 01077/2019 (राम पाल बनाम यूपी राज्य) में 6.11.2019 को पारित आदेश और प्रतिवादी संख्या 2, जिला अधिकारी, सीतापुर द्वारा 18.3.2019 को पारित आदेश को चुनौती दे रहा है; ये आदेश रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-1 और 2 के तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा, 'परमादेश' जारी करने की भी मांग की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता का आग्नेयास्त्र लाइसेंस (लाइसेंस संख्या 418, डीबीबीएल गन संख्या 1657/1632), जो पुलिस स्टेशन कोतवाली मिश्रिख, जिला सीतापुर से संबंधित है, बहाल करने का निर्देश दिया जाए।

3. इस मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पास डीबीबीएल बंदूक संख्या 1657/1632 थी, जिसका लाइसेंस संख्या 614 था और यह कोतवाली मिश्रिख पुलिस स्टेशन, जिला सीतापुर के अधिकार क्षेत्र में आता था। याचिकाकर्ता को 29.9.2009 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि उनकी बंदूक एक आपराधिक मामले में शामिल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पाई गई है, इसलिए उनका शस्त्र लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने 4.11.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 के सामने अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी बंदूक का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि गांव की गुटबाजी और जमीन के विवाद के कारण उनकी बंदूक को झूठे तौर पर उस आपराधिक मामले में शामिल दिखाया गया है।

4. प्रतिवादी संख्या 2 ने मामले की के गुण-दोष पर विचार किए बिना और याचिकाकर्ता के जवाब को नज़रअंदाज़ करते हुए, 18.3.2019 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता का हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया। लाइसेंस रद्द करने के इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के सामने अपील की, लेकिन 6.11.2019 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किए बिना उस अपील को भी खारिज कर दिया गया।

5. उपरोक्त विवादित आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को डीबीबीएल बंदूक के लिए हथियार का लाइसेंस दिया गया था और पिसावां पुलिस स्टेशन, जिला सीतापुर में आईपीसी की धारा 307, 323, 504 और 506 के तहत अपराध संख्या 848/2009 का मामला दर्ज किया गया था। उस एफआईआर में न तो याचिकाकर्ता का नाम था और न ही वह किसी भी तरह से इसमें शामिल पाया गया था; फिर भी, सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर, 29.9.2009 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इसमें पूछा गया कि उसके हथियार का लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने 4.11.2009 के अपने जवाब में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक कारणों और प्रतिवादियों के साथ दुश्मनी की वजह से, झूठे आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता अपनी बंदूक लेकर अपनी बहन के घर जा रहा था; यह बंदूक पुलिस ने थाने में जमा कर रखी थी और अगले दिन, जब याचिकाकर्ता बंदूक लेने गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सीतापुर के ज़िला अधिकारी ने सिर्फ यह बात दर्ज की कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप गंभीर हैं और वह आपराधिक सोच वाला व्यक्ति है और साथ ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में वह लाइसेंस वाले हथियार का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इन्हीं हालात को देखते हुए, 18.3.2019 के आदेश से याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे भी 6.11.2019 के आदेश से खारिज कर दिया गया।

8. इस न्यायालय के सामने विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या सिर्फ आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर प्रतिवादी, शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर सकते हैं? इस न्यायालय का लगातार यही नज़रिया रहा है कि सिर्फ आपराधिक केस लंबित होने की वजह से शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। रिट- सी संख्या 31473/2019 में इस न्यायालय ने 14.9.2022 के अपने आदेश में यह कहा है:-

“(8) अपनी बात के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के उन फैसलों का हवाला दिया है जो राम मूर्ति मधुकर बनाम ज़िला अधिकारी, सीतापुर [1998 (16) एलसीडी-905], राम करपाल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सिंह बनाम आयुक्त, देवी पाटन मंडल, गोंडा और अन्य [2006 (24) एलसीडी 114] और राम प्रसाद बनाम आयुक्त और अन्य रिट-सी संख्या 56378/2006 में 07.02.2020 को फैसला सुनाया गया, के मामलों में दिए गए थे, इन फैसलों में यह कहा गया है कि सिर्फ आपराधिक केस का लंबित होना या हथियारों के गलत इस्तेमाल की आशंका, अधिनियम की धारा 17 के तहत लाइसेंस सस्पेंड करने या रद्द करने का आदेश देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

(9) राम मूर्ति मधुकर (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 8 में जो कहा है, उसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

(8) कानून में यह बात भी अच्छी तरह से तय है कि सिर्फ आपराधिक मामले के लंबित होने या शस्त्र अधिनियम के दुरुपयोग की आशंका के आधार पर, अधिनियम की धारा 17 के तहत लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में, गणेश चंद्र भट्ट बनाम डी.एम. अल्मोड़ा, एआईआर 1993 ऑल 291 मामले में इस न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया जा सकता है।

(10) राम करपाल सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 6 और 7 में निम्नलिखित बातें कही हैं, जिन्हें नीचे दिया जा रहा है:-

‘6, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के दो फैसलों का हवाला दिया, जो 2002 एसीसी में रिपोर्ट किए गए हैं; हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

7. उक्त निर्णय का अनुच्छेद 3 नीचे दिया गया है:

"प्रस्तर 3: क्या किसी आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने या मामला लंबित होने के आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, इस सवाल पर इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने शिव प्रसाद मिश्रा बनाम ज़िला अधिकारी, बस्ती और अन्य मामले में विचार किया था। उस मामले में खंड पीठ ने मई उद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद के पुराने फैसले का हवाला देते हुए पाया कि आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने से किसी भी तरह से जन सुरक्षा या जनहित पर असर नहीं पड़ता है, और इसलिए हथियार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया गया था। मौजूदा विवादित आदेश में भी वही कमी है, जिसकी ओर उपरोक्त मामलों में खंड पीठ ने इशारा किया है। मैं खंड पीठ की इस राय से पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐसे आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए; इसलिए इन्हें रद्द किया जाता है।"

(11) इस न्यायालय ने राम प्रसाद (उपरोक्त) मामले में यह कहा है। उक्त फैसलों के संबंधित अनुच्छेद, यानी 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 32 और 36 नीचे दिए गए हैं:-

"16. विचार करने वाली बात यह है कि क्या आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर याचिकाकर्ता का हथियार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उसकी अपील खारिज की जा सकती है, भले ही उसे 17.1.2003 को बरी कर दिया गया हो। इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है कि क्या विवादित आदेशों में दिया गया यह आधार कि अगर याचिकाकर्ता के पास हथियार का लाइसेंस रहता है, तो यह जनहित और जन सुरक्षा के हित में नहीं होगा, लाइसेंस रद्द करने के लिए सही है और ठोस सबूतों पर आधारित है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. मसीउद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद डिवीज़न, इलाहाबाद और अन्य 1972 ए.एल.जे. 573 में दर्ज मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 4 और 7 में यह कहा:

"4. लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस रखने और बंदूक अपने पास रखने का अधिकार एक आज़ाद देश में व्यक्ति का एक अहम अधिकार होता है। जन शांति और जन सुरक्षा एक अहम सामाजिक हित है। धारा 17 से पता चलता है कि संसद ने यह तय किया था कि इन दोनों अहम हितों में से कोई भी दूसरे पर अनुचित रूप से हावी न हो। धारा 17 इन दोनों विरोधी हितों के बीच एक उचित संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इसमें कहा गया है: पहले लाइसेंसधारी की बात सुनें; और फिर लाइसेंस रद्द करें, 'अगर जन शांति या जन सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो'। यह सच है कि सुनवाई के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रभावित अधिकार की प्रकृति, धारा 17 की भाषा, रद्द करने के आधार, तर्कपूर्ण आदेश की ज़रूरत और अपील का अधिकार साफ तौर पर एक निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। जय नारायण राय बनाम ज़िला अधिकारी, आजमगढ़। लाइसेंस रद्द करते समय, ज़िला अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक अधिकारी के तौर पर काम करता है।"

7. लाइसेंस को कई कारणों से रद्द किया जा सकता है, जिनमें से एक कारण यह है कि ऐसा करना "जन शांति या जन सुरक्षा" के लिए ज़रूरी है। ज़िला अधिकारी ने ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि लाइसेंस रद्द करना जन शांति या जन सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। लाइसेंस-धारक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच केवल दुश्मनी होने से जन शांति या जन सुरक्षा के साथ 'ज़रूरी' संबंध साबित नहीं होता। केवल दुश्मनी के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। दुश्मनी के सबूतों के साथ-साथ लाइसेंस-धारक की भड़काऊ बातों, उसकी संदिग्ध गतिविधियों या उसके आपराधिक इरादों और साज़िश के कुछ सबूत भी होने चाहिए। उन तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी सूची देना संभव नहीं है जिनसे जन सुरक्षा या जन शांति के लिए खतरे का अनुमान लगाया जा सके। ज़िला अधिकारी को हर मामले के तथ्यों के आधार पर फैसला लेना होगा। लेकिन इस मामले में, उनके आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द करना जन शांति या जन सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। केवल दुश्मनी का होना काफी नहीं है।

22. छंगा प्रसाद साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 1984 एडब्यूसी 145 (एफबी) मामले में, शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, पूर्ण पीठ ने अनुच्छेद 5 में यह कहा:

"उपरोक्त नियमों को देखने से पता चलता है कि लाइसेंस देने वाले अधिकारी को हथियारों का लाइसेंस सस्पेंड करने या रद्द करने का अधिकार तभी है, जब अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के उप-खंड (क) से (ड) में बताई गई कोई भी शर्त पूरी होती हो। धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत, लाइसेंस देने वाले अधिकारी के लिए यह ज़रूरी है कि वह हथियारों का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने का आदेश देते समय इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे और लाइसेंस धारक के मांगने पर उन्हें इसका संक्षिप्त विवरण दे, सिवाय उस स्थिति के जब उसे लगे कि ऐसा करना जनहित में नहीं होगा।"

अनुच्छेद-9 में इस बात पर जोर दिया गया है कि:-

यह सच है कि हथियार का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने के लिए, लाइसेंस देने वाले अधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना ज़रूरी है कि धारा 17 के आधार (क) से (ड) में बताए गए लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने के लिए ज़रूरी तथ्य मौजूद हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

23. इलाम सिंह बनाम आयुक्त, मेरठ मंडल और अन्य [1987 ऑल. एल.जे. 416] मामले में इस न्यायालय ने कहा कि धारा 17(3) (ख) के तहत लाइसेंस देने वाली प्राधिकरण लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द कर सकती है अगर जन सुरक्षा या जान शांति की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। इस मामले में लाइसेंस धारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी जिसमें यह बताया गया हो कि उसने उस घटना में बंदूक का इस्तेमाल किया था जिससे जन सुरक्षा या जान शांति भंग हुई हो। यह माना गया कि कोई ऐसी ठोस घटना होनी चाहिए जिसमें याचिकाकर्ता ने हिस्सा लिया हो और अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया हो, जिससे जन सुरक्षा या जान शांति भंग हुई हो, और अगर लाइसेंस धारी ने जन सुरक्षा या जान शांति की सुरक्षा के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बंदूक का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द नहीं किया जा सकता। इलाम सिंह (उपरोक्त) मामले के फैसले के संबंधित अनुच्छेद 4 और 5 नीचे दिए गए हैं:

"4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, मेरा मानना है कि उनके द्वारा उठाए गए तर्कों को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता। शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(ख) के तहत, लाइसेंस देने वाली प्राधिकरण लिखित आदेश से लाइसेंस सस्पेंड या रद्द कर सकती है, अगर ऐसा करना जन सुरक्षा या जान शांति के लिए ज़रूरी हो। एक बार जब किसी व्यक्ति को लाइसेंस मिल जाता है और वह बंदूक खरीद लेता है, तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है। इस मामले में, याचिकाकर्ता की वजह से जन सुरक्षा या जान शांति को खतरा पहुँचने की कोई घटना सामने नहीं आई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई जिसमें कहा गया हो कि उसने अपनी बंदूक का इस्तेमाल ऐसी किसी घटना में किया जिससे जन सुरक्षा या जान शांति को खतरा पहुँचा हो। भले ही कुछ रिपोर्ट दर्ज की गई हों, लेकिन उन्हें लाइसेंस रद्द करने का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता।"

5. कोई ऐसी ठोस घटना होनी चाहिए जिसमें याचिकाकर्ता ने हिस्सा लिया हो और अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया हो, जिससे जन शांति या जन सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ हो। अगर याचिकाकर्ता ने जन शांति या जन सुरक्षा के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसका बंदूक का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द नहीं किया जा सकता था। लाइसेंस देने वाले अधिकारी और आयुक्त, दोनों ने ही शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) (ख) के प्रावधानों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करते हुए याचिकाकर्ता के बंदूक का लाइसेंस रद्द करने में साफ तौर पर गलती की है। इन तथ्यों को देखते हुए, विवादित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

24. हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2002 (44) एसीसी 783] मामले में इस न्यायालय ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने से जन-सुरक्षा या जनहित पर कोई असर नहीं पड़ता और हथियार का लाइसेंस रद्द करने या वापस लेने का आदेश सही नहीं था। इस फैसले का अनुच्छेद 3 इस प्रकार है:

"3. क्या किसी आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने या आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, इस सवाल पर इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 'शिव प्रसाद मिश्रा बनाम ज़िला अधिकारी, बस्ती और अन्य' मामले में विचार किया था। इस मामले में खंड पीठ ने 'मसी उद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद' के पुराने फैसले का हवाला देते हुए पाया कि आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने से जन सुरक्षा या जनहित पर कोई असर नहीं पड़ता है, और इसलिए हथियार का लाइसेंस रद्द करने या वापस लेने का आदेश खारिज कर दिया गया।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

25. सतीश सिंह बनाम ज़िला अधिकारी, सुल्तानपुर 2009 (4) एडीजे 33 (एलबी) मामले में, इस न्यायालय ने विस्तार से बताया कि जन शांति या जन सुरक्षा के लिए क्या नुकसानदेह है और यह माना कि किसी आपराधिक मामले में केवल शामिल होने से जन सुरक्षा या जनहित पर किसी भी तरह से असर नहीं पड़ सकता है। सतीश सिंह मामले (ऊपर बताया गया) के अनुच्छेद 6 और 7 नीचे दिए गए हैं:

"6. धारा 17 को पढ़ने से पता चलता है कि शस्त्र लाइसेंस को इस आधार पर रद्द या सस्पेंड किया जा सकता है कि लाइसेंस देने वाली प्राधिकरण इसे जन सुरक्षा या जन शांति की सुरक्षा के लिए ज़रूरी समझती है। इस मामले में, विवादित आदेश पारित करते समय, न तो ज़िला अधिकारी और न ही अपीलीय प्राधिकरण ने यह बताया है कि कैसे और किन हालात में, याचिकाकर्ता के पास शस्त्र लाइसेंस का होना जन शांति या जन सुरक्षा और संरक्षा के लिए नुकसानदायक है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपराधिक मामला लंबित है, शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान लागू नहीं होते। जन शांति, जन सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अधिकारियों के लिए यह बताना ज़रूरी है कि कैसे, किन हालात में और किस तरह से, शस्त्र लाइसेंस का होना जन शांति, सुरक्षा और संरक्षा के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसी जानकारी के अभाव में, सिर्फ इस आधार पर कि कोई आपराधिक मामला लंबित है - और जन शांति, सुरक्षा और संरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई विशेष बात नहीं बताई गई है - शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

7. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आज़ादी का अधिकार गारंटीकृत है और शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया जाता है। हथियार का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने के संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को मनमाने ढंग से हल्के में लागू नहीं किया जा सकता है। शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए, न कि उदारतापूर्वक। हथियार का लाइसेंस रद्द करने या सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अधिकारियों को उसमें दी गई शर्तों को पूरा करना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कारण से अपराध दर दिन-ब-दिन बढ़ रही है। सरकार हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। हथियार रखने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन जीवन और आज़ादी का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप, नागरिकों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार है ताकि वे बदमाशों से बच सकें। अक्सर कहा जाता है कि एक सभ्य समाज में, केवल सभ्य लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है, न कि अपराधियों को। बेशक, अगर सरकार को लगता है कि हथियार के लाइसेंस का गलत मकसद या आपराधिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी गलत प्रथा को रोकने के लिए उचित उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन हथियार का लाइसेंस बिना सोचे-समझे और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों और भावना को ध्यान में रखे बिना, सामान्य तरीके से सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए।

28. ठाकुर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2013(31) एलसीडी 1460 (एलबी) मामले में, इस न्यायालय ने राम मुरली मधुकर बनाम जिला अधिकारी, सीतापुर [1998 (16) एलसीडी 905] और हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2002 एसीसी 783 के मामलों में पहले दिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए, अनुच्छेद 10 और 11 में यह कहा:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"10. "जन शांति" या "जन सुरक्षा" का मतलब कानून-व्यवस्था में सामान्य गड़बड़ी नहीं है; जन-सुरक्षा का अर्थ आम जनता की सुरक्षा है, न कि केवल कुछ लोगों की सुरक्षा। साथ ही, अधिनियम की धारा 17(3) के तहत हथियार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश पारित करने से पहले, लाइसेंसिंग प्राधिकरण के लिए यह ज़रूरी है कि वह इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि क्या मामले में जन-शांति और सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा था। यह बात राम मुरली मधुकर बनाम जिला अधिकारी, सीतापुर [1998 (916) एलसीडी 905] मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए कही गई है, जिसमें यह माना गया है कि केवल एफ.आई.आर. दर्ज होने या आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर जनहित में लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द नहीं किया जा सकता है।"

11. इसके अलावा, इस न्यायालय ने हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002 एसीसी 783 के मामले में यह कहा:

"क्या किसी आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने या मामला लंबित होने के आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, इस सवाल पर इस न्यायालय की खंड पीठ ने शिव प्रसाद मिश्रा बनाम जिला अधिकारी, बस्ती व अन्य 1978 एडव्यूसी 122 मामले में विचार किया था। इस मामले में खंड पीठ ने मसी उद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद 1972 एलजे 573 के पुराने फैसले का हवाला देते हुए पाया कि आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने से किसी भी तरह से जन सुरक्षा या जनहित पर असर नहीं पड़ता है और इसलिए हथियार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया गया था। मौजूदा विवादित आदेशों में भी वही कमी है जो उपरोक्त मामलों में खंड पीठ ने बताई थी। मैं खंड पीठ की इस राय से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए; इसलिए इन्हें रद्द किया जाता है।

एक और वजह यह है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को उपरोक्त आपराधिक मामले से बरी कर दिया गया है और अभी न तो कोई मामला लंबित है, और न ही याचिकाकर्ता को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे के अनुलग्नक एसए-1 और II से साफ है। इस स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता आग्नेयास्त्र लाइसेंस पाने का हकदार है।

32. घनश्याम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [2016 (34) एलसीडी 3035] मामले में इस न्यायालय ने फिर से कहा है कि धारा 17 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी बातें साफ तौर पर मौजूद नहीं थीं और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पेश की गई सामग्री के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था, जो लाइसेंस रद्द करने के आदेश को सही ठहरा सके। उक्त फैसले का अनुच्छेद 9 नीचे दिया गया है:

"9. इस न्यायालय की लखनऊ पीठ के हाल के एक फैसले सूर्या नारायण मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, जो 2015 (7) एडीजे 510 में रिपोर्ट हुआ है, मैं, इस न्यायालय ने बाद के फैसलों के आधार पर ऐसा ही नज़रिया अपनाया है। फैसले का अनुच्छेद-14 नीचे दिया गया है:

"14. राज कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2013 (80) एसीसी 231 के मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 3 में यह कहा :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"कारण बताओ नोटिस जारी करने, सस्पेंड करने और आखिर में लाइसेंस रद्द करने का आधार यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सिर्फ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। ज़िला अधिकारी ने यह भी माना है कि याचिकाकर्ता को ज़मानत मिल गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर लाइसेंस बना रहता है, तो याचिकाकर्ता जन शांति और व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। आयुक्त ने भी यही बात कही है। भले ही यह न्यायालय देश के कानून को बार-बार दोहरा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी देश के कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। स्थापित कानून यह है कि किसी आपराधिक मामले में सिर्फ शामिल होने से—बिना इस बात के साबित हुए कि उस मामले में शामिल होना जन शांति और व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, हथियार का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं बनता। राम सूची बनाम आयुक्त, देवीपाटन डिवीज़न 2004 (22) एलसीडी 1643, के मामले में यह तय किया गया था और इसी कानून का हवाला बलराम सिंह बनाम यू.पी. राज्य 2006 (24) एलसीडी 1359 के मामले में भी दिया गया था। बिना किसी ठोस आधार के महज़ आशंका सिर्फ एक राय है जिसका कोई मज़बूत आधार नहीं होता। एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करते समय व्यक्तिगत मनमानी को हावी नहीं होने दिया जा सकता।"

9. उपरोक्त फैसले को देखते हुए, यह बिल्कुल साफ़ है कि सिर्फ उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता था, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ और हथियार के गलत इस्तेमाल का कोई आरोप भी नहीं है। सीतापुर के ज़िला अधिकारी का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता द्वारा हथियार का गलत इस्तेमाल किए जाने की संभावना है, मनमाना है और ऐसा कोई सबूत या आधार नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह अपने हथियार का गलत इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी सबूत या आधार के बिना, इस बारे में निकाला गया निष्कर्ष गैर-कानूनी और मनमाना है।

10. कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों और लाइसेंस रद्द करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के इस निष्कर्ष पर विचार करते हुए कि शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, यह पाया गया कि ये निष्कर्ष मनमाने, गलत और किसी ठोस कारण पर आधारित नहीं हैं। लाइसेंस रद्द करने का आदेश देते समय और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में भी याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार नहीं किया गया; इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 6.11.2019 को पारित आदेश और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 18.3.2019 को पारित आदेश मनमाने, गलत और ठोस कारणों पर आधारित नहीं हैं।

11. उपरोक्त कारणों को देखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और 18.3.2019 और 6.11.2019 के विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है।

12. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

मार्च 13, 2026.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।